<u>महानिदेशालय,</u> <u>केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल,</u> <u>केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003</u> गृह मंत्रालय, भारत सरकार

संख्या. सी.सत्रह-01/2023-प्रशा.(सीएलएमएस)

दिनांक 02 जनवरी, 2023

परिपत्र आदेश संख्याः 06/2022

मानक संचालन प्रक्रिया (केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली)

मदिरा कैन्टीन की प्रक्रिया पूर्व में मैनुअल आधार पर की जाती थी जिसमें बटालियन मुख्यालय स्तर पर टेण्डर किया जाता था। इससे एक निश्चित क्षेत्र में केवल लिमिटेड ब्राण्ड ही उपलब्ध हो पाते थे, क्योंकि 10 से 15 स्थानों पर टेण्डर / खरीद प्रकिया होने के कारण कई बिडर भाग नहीं ले पाते थे एवं जवानों को उपलब्ध लिमिटेड ब्राण्ड में से ही चयन करना पड़ता था। जवानों को अपनी तैनाती स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य वाहिनी / फोरमेशन से मदिरा प्राप्त करने का कोई प्रावधान न होने के कारण उनको छुटटी के दौरान अपने मदिरा कोटे से प्राप्त मदिरा को तैनाती स्थान से गृहनगर तक ले जाना पड़ता था।

केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली (सीएलएमएस) का मुख्य उद्देश्य पूरे प्रकरण में पारदर्शिता लाना, किफायती दर पर अच्छी गुणवत्ता एवं अधिकतम ब्रान्ड उपलब्ध करवाना है। इस प्रक्रिया के तहत किसी भी कर्मी द्वारा अवकाश हेतु अपने गृहनगर जाने पर दूर—दराज से मदिरा ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वह उसके द्वारा चयनित अपने नजदीकी वाहिनी/फॉर्मेशन से ही अपने कोटे की मदिरा प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा सोफ्टवेयर के माध्यम से ही बिकी की जाएगी, तथा पूरे बल के लिए केन्द्रीयकृत खरीद प्रक्रिया अपनायी जाएगी। पूर्व में प्रचलित मदिरा कैन्टीनों में सॉफ्टवेयर न होने के कारण केन्द्रीयकृत रूप से पर्यवेक्षण/देख—रेख किया जाना सम्भव नहीं था, जिसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 27011/26/2019-आर एण्ड डब्लू दिनांक 04/03/2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार बल में केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली को लागू किया जा रहा हैं।

उपभोक्ता का अधिकार सर्वोपरि हैं, उसे यह जानने का अधिकार है-

- ▶ कि जो वस्तु वह खरीदना चाहता है उसका निर्धारित मूल्य क्या है ?
- जिस ब्राण्ड की खरीद करने के लिये वह इच्छुक है तथा उसे उस ब्राण्ड की अनुपलब्धता के विषय में अवगत कराया गया है, क्या वास्तव में दी गई जानकारी सही है ?

- यदि दी गई जानकारी सही है तो क्या वह वांछित ब्राण्ड को किसी अन्य कैन्टीन से प्राप्त कर सकता है ?
- 🗲 क्या उसके लिए निर्धारित 'कोटा' का दुरूपयोग तो नहीं हो रहा है ?

सोफ्टवेयर आधारित सीएलएमएस प्रणाली से उपभोक्ता का अधिकार सुरक्षित हैं क्योंकि उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने मोबाईल व कम्प्यूटर के माध्यम से दी गई Website: "<u>CLMS CRPF.org.in"</u> से निम्न जानकारी प्राप्त कर सकता है—

- मेरा प्राधिकार। (My Authorisation)
- 🕨 मेरे मदिरा खरीद का विवरण। (Details of 'My Purchase')
- किसी भी सब-डिपो में स्टॉक की उपलब्धता देखें। (View Stock availability in any of Sub Depot)
- 🕨 फीडबैक अपलोड करने की सुविधा। (Facility for uploading feedback)

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार:-

क) केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली (सीएलएमएस):- इस प्रणाली का संक्षिप्त नाम "सीएलएमएस" और इसकी निधि का नाम सीएलएमएस निधि रखा जाता है, जिसकी Website: CLMS CRPF.org.in होगा।

ख) सीएलएमएस निधि:- स्थाई आदेश सं० 4/2018 के अनुसार केरिपुबल में सेवारत कार्मिको के लिए मदिरा खरीद करने का का प्रावधान दिया गया है । अब मदिरा वितरण प्रणाली के नाम में संशोधन करते हुए इस निधि का नाम "सीएलएमएस निधि" होगा । महानिदेशालय के प्रशासन शाखा द्वारा "सीएलएमएस निधि" नाम से खाता खोला जायेगा । शुरूआत में "सीएलएमएस निधि" बल के केन्द्रीय कल्याण निधि से ऋण स्वरूप राशि जरूरत के अनुसार अग्रिम ले सकता है, जिसे बाद में मदिरा लाभ एवं सदस्यों द्वारा सब डिपो (बटालियन/ फोर्मेसन कैंटीन) में जमा रम अग्रिम से लेकर वापस किया जायेगा ।

शासी निकाय – सीएलएमएस प्रणाली में नीति निर्माण/संशोधन के लिए शासी निकाय जिम्मेदार होगा। यह प्रणाली के निष्पादन और विकास के तरीके के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण भी तय करेगा।

<u>प्रबंधन समिति</u> — शासी निकाय द्वारा जारी नीतियों/दिशा-निर्देशों के अनुसार डिपो/उप डिपो को चलाने की जिम्मेदारी समिति की होगी।

डिपो — वह एजेंसी जो सब डिपो के लिये मदिरा खरीद और वितरण के लिए जिम्मेदार होगा लेकिन सीधे तौर पर मदिरा बिक्री उपयोगकर्ता के लिए नहीं है। डिपो द्वारा मदिरा की खरीद बल स्तर पर प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित विक्रेता से ही की जायेगी।

सब-डिपो – वह एजेंसी जो निर्दिष्ट डिपो से ही मदिरा की खरीद करती है और इसे सीधे उपयोगकर्ता को बेचती है।

2. केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्यः-

- क) बल में सेवारत एवं सेवानिवृत समस्त पदाधिकारिया एवं कार्मिको के लिए मदिरा उपलब्ध होगी तथा इस सुविधा का लाभ अन्य भूतपूर्व केन्द्रीय पुलिस बल के कार्मिको को भी दिये जाने का प्रावधान है।
- ख) मदिरा कैंटीनों की क्य/विक्य प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ।
- ग) बल में कार्यरत पदाधिकारी / कार्मिक अपनी वर्तमान तैनाती स्थल के साथ—साथ अवकाश के दौरान भी सी0एल0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से किसी भी सब-डिपो से मदिरा प्राप्त कराया जाना हैं । उपभोक्ताओं द्वारा किसी भी मदिरा कैन्टीन में उपलब्ध ब्रांड, स्टॉक एवं दर की जानकारी "सीएलएमएस" की पोर्टल और मोबाइल एप्प पर Online प्राप्त किया जाएगा ।
- घ) करमुक्त (डी०एफ०आर०) मदिरा की आपूर्ति राज्य आबकारी विभाग नीति के अनुसार और पूर्व आदेशों के अनुसार ही निर्गम किया जाना, तथा इसका लेखा—जोखा पहले की तरह अलग से रखा जाएगा।

3. शासी निकाय

क) बल के स्तर पर

- > महानिदेशक
- 🕨 अपर महानिदेशक (मुख्यालय)
- महानिरीक्षक (प्रशासन)
- वित्तीय सलाहकार
- > उपमहानिरीक्षक (प्रशासन)
- > उपमहानिरीक्षक (कल्याण)
- 🕨 कमाण्डेंट (कल्याण)
- 🕨 कमाण्डेंट (विधि)
- 🗲 उप कमाण्डेंट (सामान्य)
- प्रत्येक जोन का एक प्रतिनिधि (संबंधित जोन द्वारा नामित) एक वर्ष के लिए नामित किया जाएगा।
- प्रत्येक रैंक से एक प्रतिनिधि (प्रशासन महानिदेशालय द्वारा नामित) एक वर्ष के लिए नामित किया जाएगा।

ख) डिपो/ सब-डिपो

स्थाई सदस्य:-

अध्यक्ष: - वरिष्ठतम पदस्थ कार्यकारी अधिकारी/HOO उपाध्यक्ष - संस्थान का कोई भी राजपत्रित अधिकारी या लेखाधिकारी। सुबेदार मेजर/जीडी अथवा निरी./जीडी - 01 उप निरी./जीडी- 01 डीपो / सब डीपो अधीनस्थ अधिकारी उप निरी./जीडी: - 01 अन्य दूसरे अधिनस्थ अधिकारी: -01

नामित सदस्य: -

अधीस्थ अधिकारी (GD/MT/SIG.) - 02 हवलदार अथवा सिपाही/जीडीः- 03 नोटः—नामित सदस्यों की नियुक्ति 01 वर्ष के लिए होगी।

4. स्थान:--

<u>डिपो/ सबडिपो:</u>- केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली (सीएलएमएस) के तहत केरिपुबल की तरफ से राज्यवार डिपो/सबडिपो निम्नानुसार चिंहित किये जाते है:-

SI	State	Name of	SI	Name of Sub-Depot
No.		Deopts	No.	
01.	Assam	GC CRPF,	01	GC CRPF GTY, Assam
		Guwahaty,	02	10 th Bn, Barpeta, Assam
		Assam	03	147 Bn, Kashipur, Silchar, Assam
			04	156 Bn, Chirang, Assam
			05	210 Bn, Dalgaon, Dist Darrang, Assam
			06	48 Bn, Dicc Complex, Gauripur, Dist Dhubr
				Assam
			07	171 Bn, Police reserve line, Dibrugarh, Assam
			08	152 Bn, ITC Complex, shastri Nagar, Goalpara
				Assam
			09	142 Bn, Jonki Nagar, Dist Golaghat, Assam
			10	119 Bn, Rowriah Police Complex Jorhat Assan
			11	175 Bn, Rani Industrial Area, Po Azara, Kamru
				Assam
			12	GC, CRPF, KKT Gautam Basti Dis
				Karbianglong, Assam
			13	128 Bn, loc Complex, Sector III, Noonmat
				Karmroop Metro, Assam
			14	20 Bn, Birla Plywood Factory, Diphu, Karl
				Anglong, Assam
			15	155 Bn, Bokajan, karbi Anglong, Assam
			16	129 Bn, Parasar Bharati, Kokrajhar, Assam
			17	34 Bn, MP Spun Mill Aidc Complex, Katimar
				Assam
			18	136 Bn Veterinary Hospital, Sariahtoli, Nalbar
				Assam
			19	GC CRPF SLR, Dayapur, Silchar, Assam
			20	149 Bn, Joysagar, Sivasagar, Assam
			21	30 Bn, Assam Cotton mill, Chariduar, Dis
				Sonitpur, Assam
			22	68 Bn Mankholi, Dist Tinsukia, Assam
			23	CIAT Silchar, Assam
02	Arunachal	138 BN CRPF	01	138 Bn, Itanagar, Papumpare, Arunach
	Pradesh			Pradesh
			02	36 Bn, Khonsa, Tirap, Arunachal Pradesh
			03	186 Bn, Jaipur, Village, namsai, Arunach
				Pradesh
03	Andhra	198 BN CRPF	1.	198 Bn, Visalakshinagar, Vishakhapatnam,
	Pradesh			A.P
	1	1		

			3.	42 Bn DPTC, Lalacheruvu, East Godavari, A.P.
			4.	39 Bn, Gannawaram, Krishna, A.P
			5.	234 Bn, Vishakapatnam, A.P
	Bihar	Dry State	-	-
4	Chandigarh	51 Bn,	1	51 Bn, CRPF Campus Hallomajra , Chandigarh
		Chandigarh	2	5 th Sig. Bn, Hallomajra, Chandigarh
5	Chhattisgarh	GC CRPF.	1	GC CRPF Bilaspur, Chattisgarh
ر	Omatiogam	Bilaspur,	2	DIG Range Dantewada, Chhattisgarh
		Chhattisgarh	3	80 Bn, new Bus Stand Jagdalpur, Baster, CG
			4	188 Bn, Chikaputti, Kondagaon Chhattisgarh
			5	226 Bn, CRPF Gidam Nallah, Sukma, Chhattisgarh
			6	227 Bn ,Tongal, Sukma, Chhattisgarh
			7	241 Bn, Sedwa, Keshloor, Jagdalpur, Dastar, Chhattisgarh
			8	111 Bn, DRP line Karli, Geedam, Dantewada,
			9	CG 165 Bn, Pundri, Bijapur, CG
			10	195 Bn, Electrity board sub division,
				Dantewada, Chhattisgarh
			11	199 Bn, Paturpara, Bhairamgarh, Bijapur, CG
			12	230 Bn, Barcheli, Dantewada, Chhattisgarh
			13	231 Bn, Dantewada, Chhattisgarh
			15	02th Bn, Sabrinagar, Sukma, CG 74 Bn, Dornapal, Sukma, Chhattisgarh
			16	131 Bn, Sunnamguda, Konta, Sukma,CG
			17	150 Bn, Dornapal, Sukma, Chhattisgarh
			18	223 Bn, Kampedaguda, Sukma, CG
			19	201 Cobra Bn, Jagdalpur, CG,
06	Chhattisgarh	GC CRPF,	01	GC CRPF, Raipur, Chhattisgarh
		Raipur	02	DIG Range Bijapur
			03	62 Bn, Forensic Lab Building, Doordarshan Colony Ambikapur, Surguja, Chhattisgarh
			04	65 Bn, Bardera, Raipur, C.G.
			05	211 Bn, Thanaud, Raipur, Chhattisgarh
			06	50 Bn, Konta, Sumka, Chhattisgarh
			07	151 Bn, Chhattisgarh
			80	212 Bn, Paidagudam, Sukma, Chhattisgarh
			09	217 Bn, Konta, Sukma, Chhattisgarh
			10	219 Bn, Sukma, Chhattisgarh
			11	228 Bn, Fandiguda, Sukma, Chhattisgarh 204 Bn, Jagdalpur, Bastar, CG
			13	85 Bn, Nayapara, Bijapur, C.G.
			14	153 Bn, Chinnakodepal, Bijapur, Chhattisgarh
			15	168 Bn, New Jail Complex, Bijapur, C.G.
			16	170 Bn, Krishi Upaj Mandi, Bijapur, C.G
			17	196 Bn, Mahadev Ghati, Bijapur, C.G.
			18	222 Bn, bijapur, chhattisgarh
			19	229 Bn, Sampark Complex, bijapur, Chhattisgarh
07	Delhi	GC CRPF,	01	05 Bn, Tilak Nagar, New Delhi
		NEW DELHI	02	31 Bn, Phase III, Mayur Vihar, New Delhi
			03	1st Sig Bn, Jharoda Kalan, New Delhi
			04	103 RAF, Karawal nagar, New Delhi 122 Bn, Mehrauli, New Delhi
			06	27 Bn, Bawana, Delhi
			07	194 RAF, Bawana, Delhi
			08	88(M) Bn, Dwarika, New Delhi
			09	GC CRPF, Jharoda Kalan, New Delhi
			10	139 Bn, Bank Coloney, New Delhi
			11	55 Bn, Bawana, Delhi
]			12	89 Bn, Bawana, Delhi

			13	70 Bn, Bawana, Delhi
			14	236 Bn Bawana, North west, Delhi
			15	200 Bn, Jaffapur Kalan, South west delhi
			16	243 Bn, Mayur Vihar, Phase-III, New Delhi
	Cuieret	Dm. Ctata	17	Dte Genl, CGO Complex, New Delhi
	Gujarat Himachal	Dry State		-
	Pradesh		No deployment of CRPF (Only TOT School, CRPF, Dharampur, H.P is running on adhoc basis under GC CRPF Pinjore.)	
08	Haryana	GC CRPF,	01 GC CRPF Gurugram, Haryana	
00	l lai yana	Gurugram	02	CRPF Academy, Kadarpur, Gurugram
			03	GC CRPF Pinjore, Haryana
			04	237 Bn, GC CRPF Pinjore, Haryana
			05	220 Bn, GC CRPF Campus Sonepat, Haryana
	Jammu &	CC CDDE	06	GC CRPF Sonepat, Haryana
09	Kashmir	GC, CRPF	01	RTC-4, Lethpora, J&K
		Srinagar	02	3 Bn, Bandipura, J&K
			03	14 Bn, Shopian, J&K
			04	18 Bn, Kulgam, J&K
			05	21 Bn, Near Dalgate, Srinagar, J&K
			06	23 Bn, Karan nagar, Srinagar, J&K
			07	24 Bn, Verinag, Anantnage, J&K
			08	25 Bn, Budgam, J&K
			09	28 Bn, Bemina, Srinagar, J&K
			10	29 Bn, Santnagar, Srinagar, J&K
			11	35 Bn, Humhuma, Srinagar, J&K
			12	40 Bn, Anantnag, J&K
			13	43 Bn, Budgam, J&K
			14	44 Bn, Srinagar, J&K
			15	45 Bn, Bandipura, J&K
			16	46 Bn, Anantnag, J&K
			17	49 Bn, Karan nagar, Srinagar, J&K
			18	53 Bn, Baramulla, J&K
			19	54 Bn CRPF, NEW MALLIK HOTEL, NISHAT, SRINAGAR, J&K
			20	
			20	61 Bn, Bandipura, J&K
			21	73 Bn, Bemina, Srinagar, J&K
			22	75 Bn, Srinagar, J&K
			23	79 Bn, Sonwar, Srinagar, J&K
			24	82 Bn, Down Town, Srinagar, J&K
			25	90 Bn, Anantnag, J&K
			26	92 Bn, Baramulla, J&K
			27	96 Bn, Anantnag, J&K
			28	98 Bn, Kupwara, J&K
			29	110 Bn, Pulwama, J&K
			30	115 Bn, Zakura, Srinagar, J&K
			31	116 Bn, Pahelgam, Anantnag, J&K
			32	117 Bn, Wazir Bagh, P.S. RAJBAGH SRINAGAR, (J&K)
			33	118 Bn, Ganderbal, Srinagar, J&K
			34	130 Bn, Anantnag, J&K
			35	132 Bn, Sanatnagar, Srinagar, J&K
			36	144 Bn, Srinagar, J&K
			37	161 Bn, Dalgate, Srinagar, J&K
	·	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

			20	163 Dn. Kumuara 19 K
			38	162 Bn, Kupwara, J&K
			39	163 Bn, Anantnag, J&K
			40	164 Bn, Anantnag, J&K
			41	176 Bn, Baramulla, J&K
			42	177 Bn, Sopore, Baramulla, J&K
			43	178 Bn, Shopian, J&K
			44	179 Bn, Baramulla, J&K
			45	180 Bn, Pulwama, J&K
			46	181 Bn, Budgam, J&K
			47	182 Bn, Pulwama, J&K
			-	·
			48	183 Bn, Pulwama, J&K
			49	185 Bn, Pulwama, J&K
			50	GC SNR, Srinagar, J&K
10	Jammu &	GC CRPF,	01	GC CRPF, Jammu
	Kashmir	Jammu	02	06 Bn, Katra, J&K
			03	33 Bn, Preet Nagar, Jammu 38 Bn, Samba, Jammu
			05	52 Bn, Kishtwar, J&K
			06	72 Bn, Sunderbani, J&K
			07	76 Bn, Channi Himmat, Jammu
			08	84 Bn, Chatha, Satwari, Jammu
			09	121 Bn, Kathua, Jammu
			10	126 Bn, Reasi, Jammu
			11	137 Bn, Udhampur, Jammu
			13	160 Bn, Chatha, Jammu 187 Bn, Udhampur, Jammu
			14	166 Bn New PCR camp, Sidhra, Jammu
			15	GC CRPF, Hiranagar, Jammu
11	Jharkhand	GC CRPF,	01	GC CRPF, Jamshedpur, Jharkhand
		Ranchi	02	CTC (T&IT), at Dhurwa Ranchi, Jharkhand
			03	GC CRPF Ranchi, Jharkhand
			04	07 th Bn, Girdih, Jharkhand 11 th Bn, Block Complex, Latehar, Jharkhand
			05 06	11 th Bn, Block Complex, Latehar, Jharkhand 22th Bn, Hazarbag, Jharkhand
			07	26 th Bn, bokaro, Jharkhand
			08	60 Bn, SDO Complex, Asnatalia, Jharkhand
			09	94 Bn, Khunti, Jharkhand
			10	112 Bn, Naihar Bhawan, Betla, Jharkhand
			11	133 Bn, Sector-II, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand
			12	134 Bn, Gla College, Daltonganj, Dist Palamu,
			12	Jharkhand
			13	154 Bn, PHC Building, Dhanbad, Jharkhand 157 Bn, Govt Polytech College Campus,
			'-	Jamsedpur, Jharkhand
			15	158 Bn, ANM School/Hostel, Raghu
				toil,Jharkhand
			16	172 Bn, new police line, Garhwa, Jharkhand
ļ			17	174 Bn, Chaibassa, Jharkhand
			18	190 Bn, Adiwashi Hostel, Near Chatra College, Jharkhand
			19	193 Bn, Banalupa, Musabani, Poorvi Singh,
			20	Jharkhand 197 Bn, Dist. Welfare Dept. Paschimi, Jharkhand
			21	214 Bn, Auranga camp Dalda Factory, Latehar, Jharkhand
			22	218 Bn, Gumla, Jharkhand
			23	203 Bn, Barhi, Hazaribagh, Jharkhand
			24	209 Bn, Khunti Jharkhand
			25	106 RAF, Tata Nagar, Jharkhand

		00.0005	0.4	040(M) B
12	Karnataka	GC CRPF,	01	240(M) Bn, Yelahanka, Bengaluru
		Bengaluru	02	GC CRPF , Bengaluru
			03	CSJWT BGM at Belgam, Karnataka
			04	97 RAF, Shivmoga, Karnataka
13	Kerala	GC CRPF,	01	GC CRPF, Pallipuram, Trivandrum, Kerala,
		Pallipuram	02	RTC Peringome, Kannur, Kerala
14	Maharashtra	102 BN RAF	01	102 RAF, Taloja, Navi Mumbai
			02.	206 Bn, Bhandara, Maharashtra
			03.	192 Bn Gadchiroli, Maharashtra
			04	191 Bn, Gadchiroli, Maharashtra
			05.	37 Bn, Gadchiroli, Maharashtra
			06.	9 th Bn, Gadchiroli, Maharashtra
			07.	113 Bn, Gadchiroli, Maharashtra
			80	RTC Latur, Maharashtra
			09.	213 Bn, Nagpur, Mahashtra
			10.	GC CRPF, Nagpur, Mahashtra
			11.	CTC Mudhkhed, Nanded, Maharashtra
			12.	GC CRPF, Pune, Maharashtra
			13.	242 Bn, Pune, Maharashtra
15.	Meghalaya	67 BN CRPF	01	67 Bn, East Khasi Hills, Shilong, Meghalaya
			02	120 Bn, Tura, West Garo Hills, Meghalaya
16.	Manipur	GC CRPF,	01	GC CRPF Imphal, Manipur
		Imphal	02	32 Bn Churachandpur, Komkeirup, Manipur
			03	69 Bn, Heingang, Est Imphal,Manipur
			04	86 Bn, Lamphelpat, Imphal, Manipur
			05	143 Bn, Imphal, Manipur
			06	87 Bn, STC/Ciat Complex, Jiribam Manipur
			07	109 Bn, MONGSANGEI, DISTT WEST
17.	Madhya	GC CRPF,	01	GC CRPF Bhopal
	Pradesh	Bhopal	02	208 Corbra BN, Badgaon, Balaghat
			03	123 Bn, Bharveli, Balaghat, MP
			04	41 Bn, GC CRPF BPL
			05	GC CRPF NMH Neemuch, MP
			06	238 Bn, Bangrasia, Bhopal
			07	244 Bn, GC CRPF Campus, Gwalior
			08	GC CRPF Gwalior
			09	01 Bn Neemuch, MP
			10	4 th Signal Bn, CRPF Camp Neemuch
			11	107 RAF Raisen, MP
			12	148 Bn, Mandla, M.P
			13.	CIAT Shivpuri, M.P
			14.	CTC CRPF,Gwalior
			15.	CTC, CRPF, Neemuch
			16	RTC CRPF, Neemuch
	Mizoram	SHQ BSF,	01	225 Bn, Kawn Veng II, Aizawal, Mizoram
		Aizwal,		
	Namala:: d	Mizoram	04	70 Du Zuhma Kahima Namaland
	Nagaland	93 Bn, BSF,	01	78 Bn, Zubza, Kohima, Nagaland
		Kohima,	02	173 Bn, Air Field, Dimapur, Nagaland
10	Odisha	Nagaland GC CRPF,	01	GC CRPF, Bhubaneswar, Odisha
18.	Ouisiia	Bhubaneswar	02	189 Bn Gaushala, Balangir, Orissa
		DiluballeSWal		
			03	64 Bn, Bhawanipatna, Odisha 202 Bn, Koraput Orissa
			05	216 Bn, Nuapada, Odisha
			06	4 th Bn, Rayagada, Orissa
			07	8 th Bn, Orissa, Rayagada, Jhiliguda
				12 th Bn, Jail Chowk,Bhutapara,Sambalpur, Odisha
			08	
			10	GC SBP Sambalpur, Orissa 19 Bn Sundargarh, Rourkela, Odisha
			11	127 Bn, Kandhamal, Orissa
	Punjab	FTR HQ,	01	GC CRPF, Jalandhar, Punjab
	i unjab	Jalandhar,	02.	13 Bn, New Police Line, Jodhpur, Fatehagarh
<u> </u>	<u>I</u>	outailalial,	UZ.	1 10 Dit, New 1 Olice Line, Journpul, 1 aleriagam

		Dunioh	1	Sohih Duniah
		Punjab	03	Sahib, Punjab 114 RAF, Ludhiana Camp, Jalandhar, Punjab
			03	245 Bn, ISTC, Kapurthala, Punjab
10	Doigothan	GC CRPF-1	04.	
19.	Rajasthan	Ajmer	02	GC-1CRPF Ajmer, Rajasthan GC-2 CRPF Ajmer, Rajasthan
		Ajillei	03	RTC, CRPF, Jodhpur, Rajasthan
			03	ISA Mount Abu, Abu Road, Rajasthan
20	1	83 BN CRPF	01	
20		03 DN CRFF	02	83 Bn, Jaipur, Rajasthan 246 Bn, Jaipur, Rajasthan
	Sikkim		102	No CRPF Deployment
			1	
21	Tamil Nadu	GC CRPF,	01	GC Avadi, Chennai
		Avadi	02	77 Bn, Spl Jail, Chennai
			03	CTC Coimbatore Kurdampalayam, Coimbatore,
			0.4	Tamilnadu
			04	105 RAF, Mahalingapuram, Tamilnadu
		00.0005	05	RTC CRPF, Avadi
22.	Telangana	GC CRPF	01	GC CRPF Rangareddy, Telengana
		Rangareddy	02	GC CRPF, Hyderabad, Telengana
			03	99 Bn, Secunderabad, Telangana
			04	2 Sig Bn, Chandrayangutta, Hyderabad,
			0.5	Telengana
			05	58 Bn, Warangal, Telangana
			06	141 Bn Bhadradri, Kothagudem, Telengana
22	Tuin	CC CDDE	07	81 Bn, Bhadradri, Kothagudem Telangana
23	Tripura	GC CRPF,	01	GC AGT CRPF, Agartala, West Tripura,
		Agartala	02	71 Bn, Khumulwng, Jirania, West Tripura.
			03	124 Bn, Salbagan, West Tripura, 140 Bn, Bhalai, Ambasa, Tripura
24	Uttar Pradesh	GC CRPF	04	GC CRPF Noida, U.P
24	Ollai Frauesii	Noida	02	104 RAF Bn, Ramghat, Aligarh, U.P
		Noida	03.	221 Bn, Greater Noida, U.P
			04	16 Bn, Near New RTO Office Mathura, U.P
			05	235 Bn, Greater Noida, U.P
25	1	GC CRPF,	01.	GC CRPF, Amethi, U.P
25		Lucknow	02.	247 Bn, Trisundi, Amethi, U.P
		Luckiiow	03	91 RAF, GC CRPF Campus, Lucknow
			04	GC CRPF, Lucknow, U.P
			05	233 (M) Bn, Lucknow, U.P
			06	93 Bn Ashiyana, Lucknow
			07	63 Bn Naveen Mandi samite, Faizabad, UP
			08	RTC CRPF, Amethi, UP
26	1	GC CRPF,	01	GC CRPF, Prayagraj, U.P
20		Prayagraj	02	224 Bn, CRPF, GC CRPF Campus Prayagraj,
		, , ,	-	U.P
			03	101 RAF Shantipuram, Prayagraj, U.P
			04	GC CRPF, Chanduali, Varanashi, U.P
			05	95 Bn, Varansi, Cantt. U.P
27	1	GC CRPF,	01	GC CRPF, Rampur, U.P
		Rampur	02	239 Bn, Rampur, U.P
			03	108 Bn, Meerut, U.P
			04	RAPO, Meerut U.P
28	Uttarkhand	GC CRPF	01	GC CRPF Kathgodam, Uttarkhand
		Kathgodam		
29	West Bengal	GC CRPF,	01	GC CRPF Durgapur, W.B
		Durgapur	02	66 Bn, PHC Kewakole, Goaltore, W.B
			03	169 Bn, Negoria, Belpahari, Jhargram, W.B
			04	184 Bn, Jhargram, W.B
			05	207 Bn, Salboni, Pashchim Medinipur, W.B
			06	232(m) Bn, Salboni Pashchim Medinipur, W.B
30	West Bengal	GC CRPF	01	3 Sig Bn, Kolkata, W.B
		Siliguri	02.	GC CRPF Siliguri, W.B
			03	167 Bn, North 24 Parganas, W.B
	Total	30		300

नोट:- ऐसे स्थान जहां डिपो/सबडिपो खोला जाना आवश्यक हैं तो ऐसे स्थानो के लिये प्रस्ताव के साथ परिचालन सैक्टर के माध्यम से प्रशासन महानिदेशालय को प्रेषित कर सकते हैं जिस पर अंतिम फैसला महानिदेशालय द्वारा लिया जाएगा।

5. <u>केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधनः-</u>

"सीएलएमएस" का प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जाएगा जो कि निम्नानुसार होगी:--

क) महानिदेशालय स्तर पर:-

अध्यक्ष – अपर महानिदेशक मुख्यालय उपाध्यक्ष – महानिरीक्षक (प्रशासन)

निम्नलिखितों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

सचिव – उप महानिरीक्षक (प्रशासन) या उप महानिरीक्षक (कल्याण)

संयुक्त सचिव – कमाण्डेन्ट (प्रशासन) या कमाण्डेंट (कल्याण)

सहायक सचिव— उप कमाण्डेन्ट (समान्य) या उप कमाण्डेंट (कल्याण) प्रबंधक — अधीनस्थ अधिकारी जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा

की जाएगी।

डाटा एण्ट्री ओपरेटर — 02 लिपिक (मंत्रालयिक या जीडी) जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। लिपिक उपलब्ध नहीं होने पर निजी कार्मिकों के द्धारा कार्य कराया जायेगा। जिसके वेतन को सीएलएमएस निधि लाभांश से अवसूलनीय खर्च के रूप में वहन होगा।

ख) डिपो स्तर पर

अध्यक्ष – कार्यालय के सबसे वरिष्ठ पदस्थ कार्यपालक अधिकारी

उपाध्यक्ष – लेखा अधिकारी या अन्य कोई राजपत्रित अधिकारी जो

अध्यक्ष द्वारा नियुक्त हो।

प्रबंधक – अधीनस्थ अधिकारी जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की

जाएगी।

डिपो एनसीओ – सहायक उप निरी0 या हवलदार / जीडी

लिपिक – आवश्यकता अनुसार जिसे उपलब्ध नफरी से अध्यक्ष

द्धारा मुहैया कराया जाये । लिपिक नहीं होने पर निजी कार्मिकों के द्धारा कार्य कराया जायेगा। जिसके वेतन को सीएलएमएस निधि लाभांश से अवसूलनीय खर्च

के रुप में वहन होगा ।

ग) सब डिपो स्तर पर-

अध्यक्ष – कार्यालय के सबसे वरिष्ट पदस्थ कार्यपालक अधिकारी

उपाध्यक्ष – लेखा अधिकारी या अन्य काई राजपत्रित अधिकारी

प्रबंधक – अधीनस्थ अधिकारी जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की

जाएगी।

डिपो एनसीओ – सहायक उप निरी0 या हवलदार

लिपिक — आवश्यकतानुसार जिसे उपलब्ध नफरी से अध्यक्ष द्धारा मुहैया कराया जायेगा । लिपिक नहीं होने पर निजी कार्मिकों के द्धारा कार्य कराया जायेगा। जिसके वेतन को सीएलएमएस निधि लाभांश से अवसूलनीय खर्च के रुप में वहन होगा ।

सैल्समैन / स्टॉकहोल्डर / स्टोरमैन-अधिकतम 03 (प्रबंधक सहित)।

नोट:—बिक्री काउंटर/ बिलिंग स्टॉकहोल्डर / स्टोरमैन की नियुक्ति 01 वर्ष के लिए होगी। अध्यक्ष व्यक्तिगत रुप से यह सुनिश्चित करेंगें कि 01 वर्ष के बाद इनके स्थान पर दूसरे कर्मी तैनात कर दिया जाए।

6. प्रबंधन समिति के कार्य:-

क) महानिदेशालय स्तर पर

- बल मुख्यालय के अधीन कार्यरत समस्त "सीएलएमएस" केन्द्रों के लिए समय—समय पर उचित दिशा—निर्देश जारी करना।
- सॉफटवेयर प्रविष्टियां और संशोधन एवं दिये गये दिशा—निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाना।
- सॉफ्टवेयर का रख-रखाव, फीडवैक के अनुसार समय-समय पर जरूरी बदलाव एवं लाभांश / निधि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी करना।
- केन्द्रीयकृत मदिरा खरीद प्रक्रिया, मदिरा चयन, समिति के मध्य समन्वय, महानिदेशालय स्तर पर रोकड पंजिका का रख-रखाव।
- "सीएलएमएस" सोप्टवेयर में सौपी गई भूमिका के अनुसार महानिदेशालय एडिमन के सभी कार्यों का निर्वाहन करना जैसे कि—
- i. खरीद प्रकिया के उपरान्त चयनित मदिरा फर्म, ब्रांड, मदिरा के प्रकार की प्रविष्टि को केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर में इन्द्राज करना।
- ां. खरीद प्रक्रिया के उपरान्त डिपो/ सब डिपो / प्राधिकार /एडिमन यूजर/ ब्रांड के अनुसार राज्य की प्रविष्टि को केन्द्रीयकृत मिदरा प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर में इन्द्राज करना।
- iii. सभी प्रकार के Invoice Tax/राज्यकर के नामों को सॉफटवेयर में प्रविष्ट करना अथवा आवश्यकतानुसार बदलाव करना।
- iv. आवश्यकता के अनुसार कैश बुक में संपित साईड (Assets Side)/ देनदारीयां साईड (Liabillites side) में नामों को सॉफटवेयर में प्रविष्ट करना अथवा आवश्यकतानुसार बदलाव करना।
- v. सीएलएमएस सोफ्टवेयर पर कार्य करने हेतु डिपो/सब-डिपो के कार्यालयाध्यक्षों की ID Generate करना।
- vi. केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर हेतु "सहायता केन्द्र" उपलब्ध करवाना।
- vii. ऐसे सभी स्थानो / संस्थानो का निर्धारण करना जहाँ डिपो एवं सब डिपो खोले या बंद किए जा सकते हैं ।

नोट महानिदेशालय द्वारा प्रारम्भ में आपूर्ति आदेश की स्वीकृति डिपो / सब डिपो को दी गई है परन्तु भविष्य में इसमें कुछ असमानता आती है तो महानिदेशालय द्वारा यह निर्णय लिया जा सकता है कि केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर में "Escalate" कर आपूर्ति की स्वीकृति बल मुख्यालय स्तर / सेक्टर मुख्यालय / ग्रुप केन्द्रों को दी जा सकती है।

ख) डिपो स्तर पर:-

🗲 अध्यक्षः-

- डिपो अघ्यक्ष "केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली" के सम्पूर्ण संचालन एवं गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होंगे। त्रैमासिक आधार पर होने वाली समन्वय बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें समय—समय पर नीतिगत निर्णय लिए जाऐंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि "सीएलएमएस" निधि का प्रयोग केवल "सीएलएमएस" को सुचारू रूप से चलाये जाने / उचित रख—रखाव सम्बन्धित खर्चों हेतु ही किया जा रहा है।
- सीएलएमएस सोफ्टवेयर **में** सौपे गये कार्य के अनुसार डिपो के सभी कार्यो का निर्वाहन करना जैसे कि—
 - 1) डिपो अध्यक्ष सम्बन्धित राज्य के अधीन आने वाली सभी लाईसेंस धारक वाहिनी / फोरमेशन को जारी निविदा की स्वीकृति (Acceptance of Tender) के अनुसार चयनित सभी ब्राण्ड पर सीएलएमएस सोफ्टवेयर में सम्पूर्ण राज्य कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे, तािक उस राज्य के अधीन आने वाली सभी लाईसेंस धारक वाहिनी / फोरमेशन द्वारा आपूर्ति आदेश जारी किया जा सके।
 - 2) सब डिपो स्तर से मॉग को समेकित करना तथा फर्म को सप्लाई आर्डर जारी करना। भंडार प्राप्ति के बाद सभी सब डिपो को मांग के अनुसार वितरित करना ।
 - 3) सीएलएमएस सोफ्टवेयर पर कार्य करने हेतु कैन्टीन उपाध्यक्ष एवं प्रबंधक / सेल्समैन/ स्टोरमैन/ स्टॉक होल्डर (अधिकतम-03) की आई.डी बनाना एवं डिलीट करना।
 - 4) राज्य आबकारी नीति के अनुसार डिपो अध्यक्ष केवल एकमात्र सशक्त अधिकारी होंगे जो कि राज्य के भीतर "सीएलएसएस" के माध्यम से स्टॉक ट्रांसफर कर सकते है, परन्तु सीधे तौर पर बिक्री हेतु प्राधिकृत नहीं हैं।
 - 5) ऐसे संस्थान जहां पर डिपो और सब डिपो दोनों स्थापित हैं वहां पर A.T के अनुसार चयनित सभी ब्राण्ड को डिपो द्वारा आपूर्ति आदेश दिया जाये और प्राप्त मदिरा को वहां स्थापित सब डिपो को केवल स्टॉक ट्रांसफर के माध्यम से बिकी हेतु उपलब्ध करवाया जाये।

उपाध्यक्ष:—"सीएलएमएस" डिपो की प्रत्येक प्रकिया के लिए उत्तरदायी होंगे जिनके मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे—

i) ड्राफ्ट सप्लाई आर्डर तैयार करना।

- ii) प्रत्येक दिन ऑनलाईन कैश बुक का अनावृत एवं कैश बुक बंद किया जाना स्निष्टिचत करना।
- iii) सीएलएमएस"प्रकिया में उपलब्ध फार्म के माध्यम से कैश बुक में सही प्रवृष्टियों का उत्तरदायित्व।
- iv) "सीएलएमएस" प्रकिया में उपलब्ध फार्म के माध्यम से कैश बुक में की गई प्रवृष्टियों में कोई त्रुटि हो जाती है तो कैश बुक की उस प्रवृष्टियों को डिलीट कर पुनः "सीएलएमएस" प्रकिया में उपलब्ध फार्म के माध्यम से इन्द्राज करने के लिए प्राधिकृत हैं।
- v) कैन्टीन प्रबंधक / सैल्समैन/ स्टोरमैन/ स्टॉक होल्डर (अधिकतम-03) की आईडी को अध्यक्ष के मंजूरी पश्चात बनाने के लिये उत्तरदायी होंगे।

प्रबंधकः-

- i) "सीएलएमएस" प्रकिया से संबंधित समस्त प्रकार के कार्यों के लिए मददगार होंगे साथ ही सेल्स प्रभारी की तरह भी काम करेंगे।
- ii) खरीद प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्यों जैसे, आपूर्ति आदेश, लाईन कमेटी कराना, टूट—फूट सम्बन्धी कार्य एवं अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा करने हेत् उत्तरदायी होंगे।
- iii) सीएलएमएस सॉफ्टवेयर के अनुसार पत्राचार एवं रोकड बही के प्रवृष्टियों के इन्द्राज हेतु कैन्टीन उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करणा।
- iv) सीएलएमएस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस में स्टॉक रिपोर्ट बनाने के उपरान्त भौतिक सत्यापन कर उपाध्यक्ष को अनुपालना प्रस्तुत करेंगें।
- v) सीएलएमएस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस में Balance Sheet बनाकर फिजिकल सत्यापन करेंगे एवं उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष से सत्यापित करवायेगें।
- vi) मदिरा कैंटीन के रख–रखाव हेतु की गई खरीद के लिए अपनायी जाने वाली खरीद प्रक्रिया एवं सम्बन्धित पंजिकाओं में प्रवृष्टियों के लिए जिम्मेवार होंगे।
- vii) प्रत्येक दिन बिक्री की गई मदिरा की बिक्री के ब्यौरा के संबंध में उपाध्यक्ष को सूचित करना।
- viii) "सीएलएमएस" प्रक्रिया के तहत जरूरी दस्तावेज अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित करना / करवाना।
- ix) धनराशि का उचित प्रबंधन।

स्टॉक होल्डर/ स्टोरमैन/ सैल्समैन:-

स्टॉक होल्डर / स्टोरमैन / सैल्समैन प्रबंधक द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे—

- i) "सिएलएमएस" / डिपो की सभी प्रकार की चल—अचल संपत्ति के रख—रखाव के लिए व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होगा।
- ii) खरीदे गये समस्त सामान की लाईन कमेटी करवाकर उनका ऑनलाईन स्टॉक इन्द्राज करना।
- iii) मदिरा की खरीद के लिए समय से मांग प्रस्तुत करना।
- iv) डिपो में किसी भी प्रकार की टूट-फूट अथवा नुकसान की सूचना तुरन्त प्रबंधक को देना।
- मदिरा बिक्री केवल मोबाईल एप या वेब पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा ।
- vi) "सीएलएमएस" डिपो की साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखेगा ।

ग) सब डिपो स्तर पर:-

"सीएलएमएस सोफ्टवेयर में सौपी गई भूमिका के अनुसार बटालियन/फोर्मेशन/मदिरा कैंटीन के सभी कार्यों का निर्वाहन करना ।

a) अध्यक्ष:--

- i) "सीएलएमएस" सब डिपो के सम्पूर्ण संचालन एवं गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होंगे। त्रैमासिक आधार पर होने वाली समन्वय बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें समय—समय पर नीतिगत निर्णय लिए जाऐंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि "सीएलएमएस" निधि का प्रयोग केवल "सीएलएमएस" को सुचारू रूप से चलाये जाने / उचित रख—रखाव सम्बन्धित खर्चों हेतु ही किया जा रहा है।
- ii) सप्लाई आर्डर अनुमोदित करना।
- iii) सीएलएमएस सोफ्टवेयर पर कार्य करने हेतु कैन्टीन उपाध्यक्ष एवं प्रबंधक / सैल्समैन/ स्टोरमैन/ स्टॉक होल्डर (अधिकतम-03) की आईडी बनाना।
- iv) किसी भी पदाधिकारी / कामिक का Password Reset अथवा जरूरत पड़ने पर उसे Ban/Debar करने के लिए भी सक्षम होंगे (Ban/Debar की परिस्थिति में पूरी Justificaiton record की जाये) ।
- v) Non PIS User जैसे क्लब / मैस द्वारा प्रस्तुत मिदरा की मांग को क्लब / मैस चेयरमैन के माध्यम से अध्यक्ष के समक्ष अवलोकन एवं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा वर्तमान में मैस का Outstanding/वर्तमान होल्डिंग एवं "सीएलएमएस" में दिये गये दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- vi) आपूर्ति आदेश जारी करना।

b) उपाध्यक्ष:-

उपाध्यक्ष "सीएलएमएस" मदिरा कैन्टीन की प्रत्येक प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होंगे। जिनके मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे—

- 1) ड्राफ्ट सप्लाई आर्डर तैयार करना।
- 2) प्रत्येक दिन ऑनलाईन कैश बुक का अनावृत एवं कैश बुक बंद किया जाना सुनिश्चित करना।
- 3) "सीएलएमएस" प्रकिया में उपलब्ध फार्म के माध्यम से कैश बुक में सही प्रवृष्टियों का उत्तरदायित्व।
- 4) "सीएलएमएस" प्रक्रिया में उपलब्ध फार्म के माध्यम से कैश बुक में की गई प्रवृष्टियों में कोई त्रुटि हो जाती है तो कैश बुक की प्रवृष्टियों को डिलीट कर पुनः "सीएलएमएस" प्रक्रिया में उपलब्ध फार्म के माध्यम से इन्दराज करने के लिए प्राधिकृत हैं।
- 5)कैन्टीन प्रबंधक / सैल्समैन/ स्टोरमैन/ स्टॉक होल्डर (अधिकतम-03)की आईडी को अध्यक्ष के मंजूरी पश्चात बनाने के लिये उत्तरदायी होंगे।

c) प्रबंधक:--

- i) "सीएलएमएस" प्रकिया से संबंधित समस्त प्रकार के कार्यों के लिए मददगार होंगे साथ ही सैल्स प्रभारी की तरह भी काम करेंगे।
- ii) खरीद प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्यों जैसे, आपूर्ति आदेश, लाईन कमेटी कराना, टूट—फूट सम्बन्धी कार्य एवं अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
- iii) "सीएलएमएस" सॉफ्टवेयर के अनुसार पत्राचार एवं रोकड़ बही में प्रवृष्टियों के इन्द्राज हेतु कैन्टीन उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना।
- iv) "सीएलएमएस" प्रक्रिया के तहत प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस में स्टॉक रिपोर्ट बनाने के उपरान्त फिजिकल सत्यापन कर उपाध्यक्ष को अनुपालना प्रस्तुत करेंगें।
- v) "सीएलएमएस" प्रक्रिया के तहत प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस में Balance Sheet Generate कर फिजिकल सत्यापन करेंगे एवं उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष से सत्यापित करवाएंगे।
- vi) मदिरा कैंटीन के रख-रखाव हेतु की गई खरीद के लिए अपनायी जाने वाली खरीद प्रक्रिया एवं सम्बन्धित पंजिकाओं में प्रवृष्टियों के लिए जिम्मेवार होंगे।
- vii) प्रत्येक दिन बिक्री की गई मदिरा की बिक्री के ब्यौरा के संबंध में उपाध्यक्ष को सूचित करना।

- viii) "सीएलएमएस" प्रक्रिया के तहत जरूरी दस्तावेज अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित करना / करवाना।
- ix) धनराशि का उचित प्रबंधन।

घ) स्टॉक होल्डर / स्टोरमैन / सैल्समैन:-

स्टॉक होल्डर / स्टोरमैन / सैल्समैन प्रबंधक द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे—

- i) "सीएलएमएस" / मदिरा कैन्टीन की सभी प्रकार की चल—अचल संपत्ति के रख—रखाव के लिए व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होगा।
- ii) खरीदे गये समस्त सामान की लाईन कमेटी करवाकर उनका ऑनलाईन स्टॉक इन्दराज करना।
- iii) मदिरा की खरीद के लिए समय से मांग प्रस्तुत करना।
- iv) मदिरा कैंटीन में किसी भी प्रकार की टूट-फूट अथवा नुकसान की सूचना तुरन्त प्रबंधक को देना।
- v) केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली(सीएलएमएस) के तहत मदिरा बिक्री ऑफलाईन नहीं होगा, मदिरा बिक्री केवल मोबाईल एप या वेब पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा।
- vi) गैर PIS उपभोगकर्ता (जैस सेवानिवृत कार्मिको (वेटसनस) एवं मैस / क्लब का पंजीकरण करना।
- vii) "सीएलएमएस" मदिरा कैंटीन की साफ—सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। viii)ऐसे कर्मी जो मोबाइल एप या पोर्टल के माध्यम से खरीदारी करते में असमर्थ है उनको खरीद प्रक्रिया में मदद करना।

7. वित्तीय शक्तियां:—

- i. जो वित्तीय शक्तियां प्रबंधन समिति को केन्द्रीय पुलिस कल्याण भण्डार (केपीकेबी) के लिए तथा सहायक भंडार को प्रदत हैं वही वित्तीय शक्तियां डिपो एवं सब डिपो के प्रबंधन समिति को भी क्रमशः लागू होगी ।
- ii. "सीएलएमएस" सोफ्टवेयर **में** सौपी गई भूमिका के अनुसार आपूर्ति आदेश को अनुमोदित करने हेतु वित्तीय शक्तियां प्रदत्त हैं।
- iii. मदिरा आपूर्तिकर्ता की भुगतान हेतु भी पूरी वित्तीय शक्तियां प्रदत्त हैं।
- iv. भुगतान का माध्यम डिजिटल रखा जायेगा, जैसे UPI/ डेविट / क्रेडिट कार्ड इत्यादि जिसके लिए QR Code एवं स्वैप मशीन उपलब्ध करवाई जाये।

v. सभी प्रकार के अंतिम भुगतान एवं अग्रिम ऋण शासी निकाय द्वारा तय किये मानदण्डों के अनुसार करने हेतु वित्तीय शक्तियां प्रदत्त हैं। अन्तिम भुगतान केवल डिपो / सब डिपो से सम्बन्धित ही हों, अन्य किसी प्रकार का अन्तिम भुगतान "सीएलएमएस" निधि से न किया जाये।

8. समय:-

सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा मिदरा केंटीन का खोलने एवं बंद करने का समय राज्य आबकारी नितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जायेगा। राज्यों में घोषित और समय समय पर राज्य द्वारा ड्राई डे घोषित किये जाने वाले दिवस पर अमल किया जायेगा।

9. डिपो / सब डिपो दस्तावेजों का रख-रखाव:--

अभिलेख के लिए नियमावली हेतु निम्नलिखित अभिलेख संजोए जायेगें :--

- i. गार्ड फाईल।
- ii. प्रशासनिक अनुमति पंजिका (Purchases other than "CLMS")
- iii. स्वीकृति पंजिका (Purchases other than "CLMS")
- iv. लाईन समिति पंजिका।
- v. स्टॉक फाईल (कर युक्त मदिरा)।
- vi. स्टॉक पंजिका (कर मुक्त मदिरा जहाँ लागू है)।
- vii. स्टॉक पंजिका (अचल संपत्ति)।
- viii. मासिक बिकी समरी फाईल।
- ix. बिल फाईल।
- x. भुगतान वाउचर फाईल।
- xi. आबकारी विभाग से पत्राचार फाईल
- xii. तुलन-पत्रिका (Balance Sheet)।
- xiii. निरस्तीकरण पंजिका।
- xiv. परमिट / लेबल फाईल
- xv. विविध पत्राचार फाईल

10. <u>खरीद प्रकियाः</u>—

- क) मदिरा खरीद हेतु प्रक्रिया बल मुख्यालय स्तर पर पूर्ण की जायेगी ।
- ख) बल मुख्यालय स्तर पर खरीद प्रक्रिया पूरी होने पर मदिरा के अनुमोदित ब्राण्डों एवं उनकी दरों को सभी सब डिपो को निविदा की स्वीकृति सहित उपलब्ध कराया जाएगा।

11. <u>पूंजी (Capital)</u> :-

पुंजी (Capital) डिपो द्वारा मदिरा खरीदने हेतु पुंजी की आवश्यकता होगी, इसके लिए प्रत्येक सब डिपो (बटालियन/फोर्मेशन) अपने सबडिपो के सदस्यो से रम अग्रिम के रूप में जमा करेगें जो निम्न प्रकार से होगी :—

राजपत्रित अधिकारी:-रु० 10,000 / -अधिनस्थ अधिकारी:-रू० 8,000 / -अन्य रैंक:-रू० 5,000 / -

रम अग्रिम के रख—रखाव सब डिपो (मदिरा कैंटीन) द्वारा किया जायेगा । डिपो प्रत्येक सबडिपो से अग्रिम के रूप में समय—समय पर आवश्यकता अनुसार राशि ले सकते है, जिससे मैसर्स को समय पर भुगतान कर सके।

12. निविदा की स्वीकृति /MOU होने के पश्चात् डिपो / सब डिपो स्तर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया:—

- क) स्वीकृत खरीद प्रकिया के उपरान्त चयनित फर्मों को आपूर्ति आदेश सम्बन्धित मदिरा लाईसेंस धारक डिपो / वाहिनियों / फोरमेशनों द्वारा राज्यकर व अन्य औपचारिकताएं को पूर्ण करते हुए जारी किया जाएगा। कार्यालय अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह चयनित फर्म में से कमबद्ध रुप से आपूर्ति मंगवाने के लिए स्वतंत्र है परन्तु उनके द्वारा एक बार सभी फर्मों से आपूर्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही पुनः क्रमवार, रुप से आपूर्ति आदेश जारी करेगा।
- ख) मदिरा लाईसेंस धारक वाहिनियों / फोरमेशनों द्वारा आपूर्ति आदेश जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि "सीएलएमएस" प्रकिया के तहत विभिन्न ब्राण्डों पर लगने वाले राज्य कर को डिपो द्वारा जोड दिया गया है।
- ग) डिपो राज्यकर को जोड़ने हेतु उत्तरदायी होगा एवं डिपो अपने अधीन सब डिपो को आवश्यकतानुसार चयनित ब्राण्ड स्टॉक ट्रांसफर के माध्यम से राज्य आबकारी नीति के अनुसार स्टॉक हस्तान्तरण कर उपलब्ध करायेगा।
- घ) आपूर्ति प्राप्त होने पर बिल (Invoice) के अनुसार नये स्टॉक के ब्यौरे को केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबधंन सॉफ्टवेयर में इन्द्राज / प्रविष्टि करना।
- **ड.)** डिपो / सब डिपो / वाहिनी के द्वारा बिकी से पहले सुनिश्चित करेगें कि सभी प्रकार के राज्यकर को चेक कर लिया गया है एवं राज्य आबकारी नीति अनुपालन किया जा रहा है।
- च)डिपो / सब डिपो को जारी की गई निविदा की स्वीकृति के आधार पर संबंधित फर्मों को ही आपूर्ति आदेश दिया जाना होगा।

13. मदिरा का कोटा (Authorisation):--

- (क) वर्तमान में निर्धारित मदिरा कोटा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल एवं सशस्त्र सीमा बल के समान हैं।
- (ख) यूनिटों के क्लब में मदिरा जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश यूनिट स्तर पर कैंप स्थाई आदेश के अन्तर्गत बनाये जायेंगे जो कि परिचालन रेंज कार्यालय के अनुमोदन से जारी किये जाएंगें।
- (ग) बल के पदस्थ एवं सेवानिवृत कार्मिकों के लिए मदिरा का व्यक्तिगत कोटा मासिक रूप से निम्नानुसार होगा जो कि क्लब में मिलने वाली मदिरा के अतिरिक्त देय होगा। इस कोटे को आवश्यकतानुसार बल स्तर पर फीडबैक के आधार पर समीक्षा किये जाने का प्रावधान होगा।

SI.No	Category	Whisky, Rum, Vodka,	Beer	Total
		Gin, Wine, Brandy,		
		Tequila etc.		
01	GOs	12	12	24
02	SOs	08	08	16
03	ORs	06	06	12

- कार्मिक को स्वयं ही मदिरा खरीदनी होगी।
- CISF एवं IB के कार्मिकों को केरिपुबल की तरफ से मदिरा वितरण नहीं किया जायेगा।

नोट—उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष अवसरों, समारोह/त्योहारों जैसे, बल/वाहिनी/फार्मेशन स्थापना दिवस, स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस, होली, दीपावली इत्यादि, पर स्पेशल कोटे के माध्यम से अतिरिक्त मदिरा जवानों को उपलब्ध करवाई जा सकती है। किसी भी पदाधिकारी के पैतृक स्थान पर उनके निजी समारोह/शादी के अवसर पर भी आवश्यकता होने पर उपलब्धता के आधार पर उसके कोटे के अतिरिक्त मदिरा राज्य आबकारी नीति के नियमों के अनुसार मुहैया करवाई जा सकती है। जिसका ब्यौरा एवं सम्बन्धित स्वीकृत दस्तावेज "सीएलएमएस" सोफ्टवेयर पर अपलोड करना अनिवार्य है। उपरोक्त के लिए कार्यालयाध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक है। इन उद्देश्यों की मांग के लिए मांग पत्र (Specimen) sop में परिषिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

वर्तमान प्रथा के अनुसार ही अन्य रैंक मैस, एस.ओ. मैस एवं अधिकारी मैस में बार डे का प्रावधान रखा जाये, उदाहरण के तौर पर जैसे अन्य रैंक मैस में सप्ताह में 03 दिन बार डे रखा गया है। मैस / क्लब में बल के कर्मियों को वितरित / प्रयोग की गई मदिरा के ब्यौरे (उपभोग इतिहास) को नया स्टॉक जारी करने की स्वीकृति देने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि निर्धारित Excel Sheet के माध्यम से इतिहास को अपलोड कर दिया गया है। वाहिनी / फॉरमेशन के आस—पास

किसी अन्य बल की Sister Organization को मदिरा वितरित के लिए बल की सभी इकाईयों के कार्यालय अध्यक्ष राज्य आबकारी नीति के नियमों के अनुसार प्राधिकृत होंगे। इन उद्देश्यों की मांग के लिए मांग पत्र (Specimen) SOP में परिशिष्ट 'ब' अनुसार संलग्न किये गये हैं।

14. लाईन समिति:-

फर्म से प्राप्त मदिरा की आपूर्ति का आबकारी विभाग से क्लियरेंस के उपरान्त वाहिनी में नामांकित लाईन समिति के द्वारा इसका सत्यापन किया जायेगा। सही मात्रा में प्राप्त मदिरा को भंडार में रखा जाएगा एवं लाईन समिति पंजिका के अनुसार सही मात्रा में "सीएलएमएस" सोफ्टवेयर में इन्दराज किया जायेगा।

मदिरा आपूर्ति के मदिरा भंडार में पहुँचने से पहले की तमाम टूट—फूट की भरपाई सभी करों सिहत फर्म द्वारा भुगतान की जानी सुनिश्चित की जायेगी, जिसके लिए केन्द्रीयकृत मदिरा खरीद प्रक्रिया में भी शर्त रखी गई है । आबकारी विभाग से प्राप्त मदिरा का टूट—फूट प्रमाण पत्र प्राप्त कर केन्दीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली ("सीएलएमएस") सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा।

15.मदिरा की बिकी:-

व्यक्तिगत कोटा कर्मियों द्वारा डिपो के अतिरिक्त किसी भी बटालियन/ फॉर्मेशन की लाईसेंस धारक मदिरा कैंटीन से प्राप्त किया जा सकता है परन्तु 4 माह के लिए अलग—अलग 4 बिल काटा जाएगा। मदिरा निर्गम में राज्य आबकारी नियमावली को ध्यान में रखा जाये। किसी भी पदाधिकारी को निर्गम की गई मदिरा की सूचना एसएमएस/ ई-मेल इत्यादि के माध्यम् से भी दिये जाने का प्रावधान है। मदिरा की बिक्री निम्नानुसार की जाएगी :—

- क) बल की यूनिटो में तैनात पदाधिकारियों/ कार्मिको को मदिरा सीधे सब डिपो से उनके कोटे के अनुसार ऑनलाईन भुगतान (Digital Mode) पर दी जाएगी। प्रत्येक पदाधिकारी/ कार्मिक केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली ("सीएलएमएस") सॉफ्टवेयर तथा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन, सम्बन्धित के नाम पर निर्गम की गई मदिरा का ब्यौरा जांच सकता है। केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली ("सीएलएमएस") में किसी भी पदाधिकारी द्वारा अपनी उपभोग इतिहास की जांच भी की जा सकती है। अगर बल के किमीयों द्वारा पूर्व में अपनी वाहिनी में मदिरा का कोटा आहरण नहीं किया गया है तो किमीयों द्वारा बल की किसी भी इकाईयों से पूर्व के एक माह, वर्तमान एक माह व भविष्य का दो माह, कुल चार माह का मदिरा कोटा, आहरित किया जा सकता है परन्तु 4 माह के लिए अलग—अलग 4 बिल काटा जाएगा।
- ख) भूतपूर्व कर्मियों को उनके गृह निवास के निकटतम वाहिनी की सब डिपो में पंजीकरण करवाना होगा जो कि जारी होने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक ही

मान्य होगा। पंजीकरण के पश्चात् उन्हें यूजर आईडी और पिन (06 digit) जारी किया जायेगा तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की मदिरा खरीद हेतु पिन का प्रयोग आवश्यक होगा, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से सम्बन्धित कर्मी द्वारा स्वयं प्रविष्ट किया जायेगा। भूतपूर्व कर्मियों द्वारा प्रत्येक वर्ष जीवित प्रमाण पत्र कैंटीन चैयरमैन को स्वयं / ई—मेल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया हेतु नमूना प्रपत्र जिसमें आवश्यक दस्तावेज भी वर्णित हैं, परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

- ग) केवल विशेष परिस्थितियों में, भूतपूर्व कर्मियों को अर्जित कोटे के अलावा अतिरिक्त मिदरा अध्यक्ष के द्वारा ही अनुमोदित किया जायेगा, तथा अनुमोदित दस्तावेजों को "सीएलएमएस" में अपलोड भी किया जायेगा। अन्य बलो के सेवानिवृत कार्मिको का सोफ्टवेयर अगर विवरण (Data) सीएलएमएस पर उपलब्ध हैं, तब उन्हे मिदरा जारी किया जा सकता हैं अन्यथा नहीं।
- घ) मैस / क्लब / सिस्टर संगठन/अन्य को मदिरा आहरित करने से पहले एक बार, वाहिनी सब डिपो में पंजीकरण करवाना होगा। तत्पश्चात् प्रत्येक संस्था को यूनिक यूजर आईडी के माध्यम् से मांग पत्र के अनुसार मदिरा की बिक्री की जाएगी। मांग की प्रक्रिया हेतु Specimen Form जिसमें आवश्यक दस्तावेज भी वर्णित हैं, परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

16. मदिरा भण्डार का स्टॉक मिलान:-

प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को सब डिपो के मैनेजर द्वारा स्टॉक समरी के आधार पर मदिरा भंडार का भौतिक मिलान किया जायेगा तथा इसका प्रमाण पत्र "सीएलएमएस" में अपलोड किया जायेगा। प्रत्येक तीसरे माह में मदिरा स्टॉक का भौतिक सत्यापन एक स्वतंत्र समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी तथा अध्यक्ष यह कार्य त्रैमासिक ऑडिट समिति से भी करवा सकते हैं। समिति अपनी रिपोर्ट सीधे अध्यक्ष को देगी जिसपर अध्यक्ष अपनी टिप्पणी देंगे। 06 माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष एवं एक बार उपाध्यक्ष मदिरा भंडार का औचक एवं भौतिक सत्यापन करेंगे तथा स्टॉक मिसिल में प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को उक्त कार्य हेतु मदिरा केंटीन बंद रहेगी।

मदिरा कैन्टीन की नकद धनराशि (यदि है तो) का प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को अध्यक्ष द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा सब डिपो का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा।

17. मूल्य निर्धारण:-

"सीएलएमएस" सोफ्टवेयर द्वारा मूल्य निर्धारण लाभांश सहित (प्रति बोतल) स्वतः ही कर लिया जायेगा, बशर्ते कि निविदा दर की स्वीकृति (लैंडिंग मूल्य), बिल दर, राज्यकर, टूट-फूट ठीक से इन्द्राज किये गये हों।

18. लाभांश :- केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली "सीएलएमएस" मे बिकी दर पर निम्नानुसार लाभांश का वितरण किया जायेगाः-

- (क) <u>केरिपुबल के डिपो एवं सब-डिपो के लिये लाभांशः</u>- भारतीय तिब्बत पुलिस बल द्वारा प्रस्तावित एवं सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारतीय तिब्बत पुलिस बल और केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल द्वारा आम सहमति द्वारा 2.5 प्रतिशत लाभ बिक्री दर पर बटवारा निम्नानुसार किया गया है:-
- (i) डिपो द्वारा सबडिपो से बिक्री दर पर 0.75 प्रतिशत लाभ लिया जायेगा जिसमें से डिपो का लाभ 0.25 प्रतिशत होगा एवं केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली निधि महानिदेशालय को 0.50 प्रतिशत डिपो द्वारा देय होगा। जिसमें 0.25 प्रतिशत केन्द्रीय कल्याण निधि को प्रत्येक तिमाही में भुगतान किया जायेगा)।
- (ii) सब डिपो द्वारा बिक्री दर पर 1.75 प्रतिशत लाभ लिया जायेगा । सीएलएसएमस के लागू होने के 02 वर्ष तक मदिरा लाभांश सब डिपो द्वारा लिया जाएगा तत्पश्चात महानिदेशक, केरिपुबल द्वारा निर्धारित शासी निकाय मिटिंग जो उप महानिरीक्षक (कल्याण) के बेतार संख्या.डब्ल्यू.पांच-09/2015-डीए-एक दिनांक 13/09/2014, 01/10/2014 एवं 16/06/2015 के अनुसार लाभांश वितरण किया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय पुलिस बलों के मध्य लाभ बटवाराः-

- (i) डिपो द्वारा उस राज्य में स्थित अन्य बल के सब डिपो को किए गए स्टॉक ट्रांसफर की कुल बिक्री दर पर 0.75 प्रतिशत लाभ लिया जाएगा एवं 0.75 प्रतिशत से 0.50 प्रतिशत अन्य बल के मुख्यालय को देय होगा। (उदाहरण के तौर पर के.रि.पु.बल के डिपो से उसी राज्य में अन्य बल जैसे सीमा सुरक्ष बल के सबडिपो द्वारा मदिरा खरीदने पर के.रि.पु.बल के डिपो द्वारा बिक्री दर पर 0.75 प्रतिशत लाभ लिया जाएगा और केरिपुबल डिपो द्वारा लिया गया 0.75 प्रतिशत लाभ में से 0.25 प्रतिशत के.रि.पु.बल के डिपो के पास रहेगा। शेष 50 प्रतिशत सीमा सुरक्ष बल के मुख्यालय को देय होगा। इसी प्रकार के.रि.पु.बल द्वारा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल या सशस्त्र सीमा बल के सब डिपो को बिक्री किए जाने एवं के.रि.पु.बल के डिपो से मदिरा खरीद करने पर भी लागु होगा।)
- (ii) सब डिपो द्वारा किसी अन्य बल के कार्मिक को बिक्री किए गए मदिरा पर 1.75 प्रतिशत लाभांश देय होगा। इसका 33 प्रतिशत हिस्सा बिक्री करने वाले बल के सबडिपो का होगा तथा 67 प्रतिशत खरीद करने वाले बल का होगा। (उदाहरण के तौर पर के.रि.पु.बल के सब डिपो से सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक द्वारा मदिरा खरीद करने पर सबडिपो का 1.75 प्रतिशत लाभ में से 33 प्रतिशत के.रि.पु.बल के सब डिपो के पास रहेगा एवं 67 प्रतिशत लाभ सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक के यूनिट को देय होगा।)
- (iii) के.रि.पु.बल के यूनिट सब डिपो द्वारा उस यूनिट सब डिपो द्वारा किसी अन्य के.रि.पु.बल के यूनिट / कार्यालय के कार्मिको को बिक्री किए जाने पर 1.75 लाभ में से 33 प्रतिशत बिक्री करने वाले यूनिट सब डिपो के पास रहेगा एवं 67 प्रतिशत खरीदने वाले कार्मिक के यूनिट सीएलएमएस निधि में देय होगा । (उदाहरण के तौर पर यदि 1.75 % लाभ रु—100 /— बनता है तो बिक्री करने वाले सब डीपो को रु. 33 /— और खरीदने वाले यूनिट के सीएलएमएस खाते में रु.67 /— देय होगा।)

- नोट:- 1. उपरोक्त व्यवस्था के कारण प्रत्येक यूनिट / कार्यालय को सीएलएमएस निधि खाता खोलने की आवश्यकता है, जिससे उनके यूनिट सब डिपो मदिरा कैंटीन के अतिरिक्त किसी भी यूनिट सब डिपो मदिरा कैंटीन से क्रय करने पर उनके पैतृक यूनिट को लाभ का 67 प्रतिशत हिस्सा दिया जा सकें।
- 2. केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली के तहत डिपो/ सबडिपो स्तर पर बिक्री होने वाली मदिरा के लाभांश का बटवारा सीएलएमएस सोफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन किया जायेगा।

19. अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण—

केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली ("सीएलएमएस")के माध्यम से चलायी जा रही मदिरा कैंटीनो का निरीक्षण सम्बन्धित सैक्टर मुख्यालय/बटालियन मुख्यालय/कमाण्डेंट द्वारा वाहिनी/फोरमेशन के निरीक्षण के दौरान करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त :—

ऑडितः- अध्यक्ष द्वारा त्रैमासिक आधार पर अभिलेखों के लेखा परिक्षण के लिये एस.टी.बी बोर्ड नियुक्त किया जाएगा जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी, दो अधीनस्थ अधिकारी, एक सहयोगी सदस्य एवं एक वित्तीय सदस्य नामित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष में एक बार प्रमाणित चार्टेंड अकाउंटेंट द्वारा डिपो/सबडिपो का वार्षिक ऑडित करवाया जाएगा।

नोट:—महानिदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली ("CLMS") के माध्यम से किसी भी डिपो / सब डिपो के अभिलेखों और गतिविधियों को Online Monitor किये जाने का प्रावधान होगा।

20. सामान्य:--

- क) निविदा की स्वीकृति/MOU की शर्तों के अनुसार फर्म द्वारा आपूर्ति की गई मिदरा का भुगतान निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी के कारण होने वाली litigation के लिए संबंधित अध्यक्ष जिम्मेवार होंगे।
- ख) समय—समय पर केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर की जानकारी अन्य पदाधिकारियों को भी दी जाएगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाएं ली जा सकें।
- ग) उपभोक्ता को ऑनलाईन में प्रत्येक ब्राण्ड की स्टॉक पोजिशन वास्तविक स्टॉक स्थित से कुछ कम कर दिखाई देने का प्रावधान है जो कि संबंधित अध्यक्ष द्वारा तय किया जा सकता है, लेकिन 60 बोतल से अधिक न हो, जिसे महानिदेशालय स्तर पर फीडबैक के आधार पर शासी निकाय के अनुमोदन के उपरान्त कम या ज्यादा किया जा सकता है।

घ) ऐसे संस्थान जहां पर डिपो और मदिरा कैन्टीन दोनों स्थापित हैं वहां पर निविदा की स्वीकृति के अनुसार चयनित सभी ब्राण्ड को डिपो द्वारा आपूर्ति आदेश दिया जाये और प्राप्त मदिरा को वहां स्थापित मदिरा कैन्टीन को केवल स्टॉक ट्रांसफर के माध्यम से बिकी हेतु उपलब्ध करवाया जाये।

- ङ) करमुक्त मदिरा का मांग, रख—रखाव एवं वितरण पूर्व नियमों के अनुसार देय होगा।
- 21. यह परिपत्र आदेश मानक संचालन प्रक्रिया 15/11/2021 को अधिक्रमित करता है।

ह.दि/- 02/01/2023 (दीपक रतन) <u>महानिरीक्षक (प्रशासन)</u>

संख्या. सी.सत्रह-01/2022-23-प्रशा.(सीएलएमएस)

दिनांक जनवरी 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सैलो द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

विशेश महानिदेशक, जम्मू कश्मीर जोन, मध्य जोन, पूर्वोत्तर जोन, दक्षिण जोन, सभी सेक्टर पुलिस महानिरीक्षक (प्रशा./ परि.), केरिपुबल, यथास्थान । निदेशक, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट आबू/ केरिपुबल एकेडमी कादरपुर (गुरुग्राम), केरिपुबल, यथास्थान । सभी रेंज उप महानिरीक्षक (प्रशा/ परि.) केरिपुबल, यथास्थान । सभी उप महानिरीक्षक (प्रशा/ परि.) केरिपुबल, यथास्थान । सभी उप महानिरीक्षक- ग्रुप केन्द्र/ सी.टी.सी (टी एण्ड आई.टी)/ सी.डब्ल्यूएस, केरिपुबल, यथास्थान । प्राचार्य- सभी सी.टी.सी. / आर.टी.सी/ सी.आई.ए.टी. स्कूल, केरिपुबल/सीएसजेडब्ल्यूटी बेलगांव/ आई.आई.एम पुणे/ डी.बी. एण्ड टी.एस तरालू, केरिपुबल, यथास्थान । सभी कंपोजिट अस्पताल , केरिपुबल, यथास्थान ।

सभी बटालियन/ आर.ए.एफ/ कोबरा/ एस.डी.जी/ पी.डी.जी/ वी.आई.पी. सिक्यूरिटी/ सिग्नल बटालियन, केरिपूबल, यथास्थान।

> ह.दि/- 02/01/2023 (बी.एस. नेगी) <u>उप महानिरीक्षक (प्रशासन)</u>

आंतरिकः-महानिदेशालय की सभी शाखाएं/ अनुभाग। आई.टी. शाखा को डी.एम.एस में अपलोड करने हेतु। अनुदेश फाईल।

परिशिष्ट 'क'

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली, अतिरिक्त मदिरा मांग पत्र केवल पंजिकृत पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए

	मैं पंजिकृत संख्या/ नामके लिए निम्नलिखित मदिरा जो कि वाहिनी मदिरा केंटीन में उ Brand Name	उद्देश्या 1 मात्रा में मेरे व्य	पक्तिगत कोटे के अतिरिक्त
Qty.	1		
	2		
	3		
व	अतः महोदय से विन्नम निवेदन है ज्रें, प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।	कि उक्त मदिर	ा का निर्गम करने की कृपा
			हस्ताक्षर बल सं० / पी०पी०ओ० पद नाम

Canteen Chairman:-

Commandant/ HOO:-

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली, क्लब/मैस मांग पत्र

Clubs	s/Coys Demand Intert	<u>face</u>	
	•	(Auto allotted by system a	at the time of online
registra	,	D . 10.	.d
	s/ Coy/ Name		igth
	Standing Amt		ngth
	hly Demand As Per I	_	
_	Brand Name	Brand Type	Qty.
1.			
2.			
3.			
Balar	nce Stock:-		
	Brand Name	Brand Type	Qty.
1.			
2.			
3.			
Net N	Monthly Demand:-		
	Brand Name	Brand Type	Qty.
1.			ζ.).
2.			
3.			
3.			
	Approved By	Recommended By	Signed By
	Chairman	•	Comdr/ Club Comdr
	Chamman	Canteen vice Chamman Coy	Comar Ciuo Coma

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल केन्द्रीयकृत मदिरा प्रबंधन प्रणाली भूतपूर्व कर्मियों के पंजीकरण हेतु प्रपत्र

1. Regtl. Number				
3. Rank				
4. Name				
5. Date of Birth				
6. Date of Retirement				
7. Retirement Unit/ Formation	on(CAPF)			
	on POS (Point of Sale) Office			
9. Home Address				
10. Mobile Number Date :-				
Place :-				
	Applicant			
	Signature			
	F/No.			
	Rank			
	Name			
Canteen Manager :-				
Canteen Chairman:-				
Commandant/ HOO:-				